भारतसरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेलमंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवेबोर्ड/RAILWAY BOARD)

No. E(NG)I/2026/PM5/2(E-3535816) **New Delhi, dated: 25 .09.2026**

The General Manager (P)
All Zonal Railways/PUs
(As per standard mailing list)

Sub: Merger of existing Artisan Staff Cadres of P-Way into a common cadre of Multi-Skilled Track Technician (MSTT) – reg.

Railway Board had constituted a committee vide Order No. ERB-I/2026/23/03 dated 27.02.2026 to examine and suggest merger of the existing Artisan Staff Cadres of Permanent Way (P-Way) into a common cadre of Multi-Skilled Track Technician (MSTT).

2. The recommendations of the Committee, have been examined in Railway Board, in consultation with the Federations (AIRF& NFIR) and the following phase-wise course of action has been decided:

A. PHASE-I

a. The Artisan Cadre of P.Way as a whole, with all of its existing incumbents, may be merged into a common cadre of Multi-Skilled Track Technician (MSTT) with inter-se seniority of incumbents in various grades of the merged cadre being decided in terms of para 302 of IREM read with Para 314 of IREM.

b. The newly formed cadre of Multi-Skilled Track Technician (MSTT) may have a four tier structure of posts and functional designation as below:

  (i) Technician (Track) Grade III – Pay Level-2, consisting of all merged posts of P-Way Artisan Staff in Pay Level-2.
  (ii) Technician (Track) Grade II – Pay Level-4, consisting of all merged posts of P-Way Artisan Staff in Pay Level-4.
  (iii) Technician (Track) Grade I – Pay Level-5, consisting of all merged posts of P-Way Artisan Staff in Pay Level-5.
  (iv) Senior Technician (Track) – Pay Level-6, consisting of all merged posts of P-Way Artisan Staff in Pay Level-6.

c. The promotional avenues of the various levels shall be as under:

i) Technician Track Grade III in Pay Level 2 – 25% Direct Recruitment through RRB, 50% Promotion Quota (Seniority-cum-Suitability with suitability being adjudged through Trade Test) from Track Maintainer IV (Pay Level 1), Track Maintainer III in Pay Level 2 and Assistants in

L-1 of Engineering Department with minimum 2 years of regular service and 25% LDCE (Selection) from Track Maintainer IV (Pay Level 1),

Track Maintainer III in Pay Level 2 and Assistants in L-1 of Engineering Department with education qualification as laid down in Apprentices Act with minimum 2 years of regular service.

ii) Technician (Track) Grade II in Pay Level 4 – 100% Promotion Quota from Technician Track Grade III to be filled on seniority-cum-suitability basis with suitability being adjudged through Trade Test, having a minimum of 2 years regular service.

iii) Technician (Track) Grade I in Pay Level 5 – 100% Promotion Quota from Technician Track Grade II on seniority-cum-suitability basis, with suitability being adjudged based upon assessment of APARs, having a minimum of 2 years regular service.

iv) Senior Technician (Track) in Pay Level 6 – 100% Promotion Quota from Technician Track Grade I on seniority-cum-suitability basis, with suitability being adjudged based upon assessment of APARs, having a minimum of 2 years regular service.

d. The educational qualification for Direct Recruitment to Technician (Track) will be as under:

Matriculation/SSLC plus ITI from recognized institutions of NCVT/SCVT in the trade of Welder /Welder (gas and electric) / Welder (Structural) / Welder (Pipe) / Welder (TIG / MIG)/ Welder (Fabrication and fitting) / Forger and Heat Treater / Foundry Man/ Pattern Maker / Moulder (Refractory) /Fitter / Electrician / Electronics Mechanic / Instrument Mechanic/ Mechanic Mechatronics / Mechanic Diesel/ Mechanic (Motor vehicle) /Machinist / Machinist Grinder OR Matriculation/SSLC plus course completed Act apprenticeship in any of the trade(s) mentioned above.

e. Senior Technician (Track) in Pay Level 6 would be eligible for promotion to JE P-way both against Departmental Promotion Quota and LDCE Quota provided they fulfill the prescribed educational and service criteria in terms of RBE No. 120/2014 and RBE No. 72/2021 respectively.

f. The medical standard of the cadre of Multi-Skilled Track Technician (MSTT) shall be B-1. The existing employees of artisan cadre of P Way who are of medical category below B1 may be sent for re-medical for B1. If the medical standard of any of the existing employees of artisan cadre of P Way is found to be below B1 after re-medical, the concerned employee after merger may be allowed for activities suitable for his/her revised medical fitness during service period.

g. The proposed post of Technician (Track) will not be suitable for Persons with Benchmark Disabilities (PwBD) having the following disabilities:

(i) Visually impaired i.e Blind and Low Vision (VI)
(ii) Hearing Impaired i.e Deaf and Hard of Hearing (HI)
(iii) Locomotor Disabilities (LD)
(iv) Oculus Dexter (OD)
(v) Muscular Dystrophy (MD)

h. Training module for cadre of Multi-Skilled Track Technician (MSTT) cadre will be devised as per extant procedure covering various areas of activities like welding, black-smithy, operation of various small track machines, safety at worksites including personal safety, protection of track etc. Specialized training in Alumino-Thermit of rails will be imparted at Thermit Portion Plant, Lucknow or Thermit Welding Training Center, Vijaywada as per the laid down procedure. Further, on job field training will also be provided. The detailed modules, including time frame for training is to be prepared and approved by the competent authority as per extant policy on the subject.

i. The newly proposed category of Technician (Track) will need to be incorporated in HRMS by CRIS for enabling updates in the Cadre Management Module as well for MPP related activities such as transfer, surrender/redistribution of posts, and change of category, etc.

B. PHASE - II

(a) The total cadre strength of the cadre of Technician (Track) with multi skilling may be increased up to 15% to 25% of the sanctioned strength of the Track Maintainer cadre. The actual percentage may vary from Division to Division based on traffic density, other working conditions and functional requirements and shall be decided by the concerned Zonal Railways.

(b) All Track Maintainers who are eligible for promotion as on the date of issue of the notification will first be given one chance for promotion within the Track Maintainer cadre.

(c) Once promotions of eligible existing Track Maintainers have been completed, the remaining vacant posts will be transferred/redistributed to the newly formed cadre of Technician (Track) with multi skilling to the required extent in terms of RBE 54/2022.

(d) The resultant cadres of Track Maintainer and cadre of Technician (Track) with multi skilling may be restructured in terms of extant provisions to ensure that their grade-wise percentage distribution remains aligned with the existing percentage distribution of respective cadres. The percentage distribution of the new cadre of Technician (Track) with multi skilling may be kept at par with the percentage decided after cadre restructuring with respect to other artisan cadres. While for the time being, the percentage distribution of the cadre of Technician (Track) with multi skilling may be kept as recommended by the Committee may be kept as below: -

Multi Skilled category of Technician(Track)		
Category	Pay Level	Percentage Distribution
MCM/Sr.Tech	6	20
Tech-I	5	20
Tech-II	4	30
Tech-III	2	30

e) The said percentage distribution may be reviewed and aligned with the percentage distribution to be adopted for other artisan cadres consequent to the finalization of the ongoing cadre restructuring exercise.

3. Zonal Railways are, therefore, requested to take necessary action for implementation of the above provisions and to undertake the requisite exercise regarding merger of the existing P-Way Artisan Cadre, strictly in accordance with the above provisions and extant instructions.

4. This has the approval of Chairman and CEO, Railway Board.

Please acknowledge the receipt

Hindi version will follow

Sanjay 25/9/26

(Sanjay Kumar)
Dy. Director/Estt.(N)
Railway Board
Ph. No. 011-23047197
E-mail Id- sanjay.kumar6@gov.in

No. E(NG)I/2026/PM5/2(E-3535816)

New Delhi, dated: 25 .09.2026

Copy forwarded to:-

1. The General Secretary, AIRF, Room No.253, Rail Bhawan, New Delhi (35 copies).
2. The General Secretary, NFIR, Room No.256-E, Rail Bhawan, New Delhi (35 copies).
3. All Members/Departmental Council & National Council & Secretary/Staff Side, National Council, 13-C, Ferozeshah Road, New Delhi (60 spares).
4. The Secretary General, FROA, Room No.256-A, Rail Bhawan, New Delhi (5 spares).
5. The Secretary General, IRPOF, Room No.268, Rail Bhawan, New Delhi (5 spares).
6. The Secretary, RBSS Group 'A' Officers Association, Rail Bhawan, New Delhi.
7. The Secretary, RBSS Group 'B' Officers Association, Rail Bhawan, New Delhi.
8. The Secretary, Railway Board Ministerial Staff Association, Rail Bhawan, New Delhi.
9. The Secretary, Railway Board Group 'D' Employees Association, Rail Bhawan, New Delhi.
10. The General Secretary, All India SC&ST Railway Employees Association, Rail Bhawan, New Delhi.
11. The General Secretary, All India OBC Railway Employees Federation/Association, Rail Bhawan, New Delhi.

25/09/26

for PED(IR)/Railway Board

Advisor/MR, PS/MoSR(R), MoSR (S), EDPG/MR, OSD/MR, OSD/Coord/MR
PSO to Chairman & CEO, M(F), M(Infra), M(T&RS), M(O&BD), Secretary, DG/RHS and DG/RPF.

PPSs to AM(Comml.), AM(CE), AM(C&IS), AM(Elec.), AM(Budget), AM(F), AM(Mech.), AM(Plg.), AM(Project), AM(PU), AM(Sig.), AM(Stores), AM(Tele), AM(Traffic), AM(Works), AM(T&C), AM(Staff), AM(HR), PED(Vig.) and PED(Infra.).

PSs to ED/Safety(M), EDCE(P), EDCE(G), ED(E&R), EDE, EDE(N), EDME(W), EDERS(G), EDE(Res.), EDE(RRB), EDF(B), ED(RE), ED/Track(M), EDF(X)I, EDF(X)II, ED(H), EDE(GC), ED(Stat), ED(Track/MC), EDME(Chg.), EDME(Traction), ED(Works), EDME(Dev.), EDRS(C), EDRS(W), EDPC, EDF(E), EDA, EDV(A), JS(G) and IG/RPF.

DPC-II, DE(G), D(IH), D(H&FW), D(MPP), DE(N)II, DE(R), DE(D&A), DE(LL), JD(OL), JDE(Rep), JDE(RRB), DD(Code Revision), DDE(LR)I, DDE(LR)II, DDE(LR)III, DDV(A&P), DD(OL)I, E(NG)II, E(Rep)I, E(Rep)II, E(Rep)III, E(SCT)I, E(SCT) II, E(RRB), PC-III, PC-IV, PC-V, E(P&A)I, E(P&A)II, CE-I, CE-II, CE-III, Sec.(E), Sec.(ABE), E(MPP), Safety Branch, A/C-III and Code Revision Cell.

****

<u>आरबीई सं. 77 /2026</u>

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

सं. ई(एनजी)I/2026/पीएम5/2 नई दिल्ली, दिनांक: 25.09.2026

महाप्रबंधक (कार्मिक)
सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां
(मानक डाक सूची के अनुसार)

विषय: पी-वे के मौजूदा आर्टिसन कर्मचारी संवर्ग के एक सामान्य संवर्ग बहु-कौशल रेलपथ तकनीशियन (एमएसटीटी) में विलय के संबंध में।

रेलवे बोर्ड ने दिनांक 27.02.2026 के आदेश सं. ईआरबी-I/2026/23/03 के तहत पी-वे के मौजूदा कारीगर कर्मचारी संवर्गों की जांच करने और इन्हें बहु-कौशल रेलपथ तकनीशियन (एमएसटीटी) के एक सामान्य संवर्ग में विलयन का सुझाव दिया गया है।

2. रेलवे बोर्ड में समिति की सिफारिशों की फेडरेशनों (एआईआरएफ और एनएफआईआर) के परामर्श से जांच की गई है और निम्न चरणबद्ध कार्यवाही का निर्णय लिया गया है:

क. <u>चरण-I</u>

क. पी.वे के कारीगर संवर्ग को समग्र रूप से, इसके सभी मौजूदा पदाधिकारियों के साथ, बहु-कौशल रेलपथ तकनीशियन (एमएसटीटी) के एक सामान्य संवर्ग में विलय किया जाए, जिसमें विलय किए गए संवर्ग के विभिन्न ग्रेडों में पदाधिकारियों की परस्पर वरिष्ठता आईआरईएम के पैरा 302 के संदर्भ में आईआरईएम के पैरा 314 सहित पढ़ी जाए।

ख. बहु-कौशल रेलपथ तकनीशियन (एमएसटीटी) के नवगठित संवर्ग में पदों की चार स्तरीय संरचना और कार्यात्मक पदनाम निम्नानुसार हैं:

(i) तकनीशियन (रेलपथ) ग्रेड III–पे–लेवल-2, जिसमें पे-लेवल-2 में पी-वे आर्टिसन कर्मचारी के सभी विलय किए गए पद शामिल हैं।
(ii) तकनीशियन (रेलपथ) ग्रेड II -पे-लेवल -4, जिसमें पे-लेवल-4 में पी-वे आर्टिसन कर्मचारी के सभी विलय किए गए पद शामिल हैं।
(iii) तकनीशियन (रेलपथ) ग्रेड I -पे-लेवल-5, जिसमें पे-लेवल-5 में पी-वे आर्टिसन कर्मचारी के सभी विलय किए गए पद शामिल हैं।

—2—

(iv) वरिष्ठ तकनीशियन (रेलपथ) पे-लेवल-6, जिसमें पे-लेवल-6 में पी-वे आर्टिसन कर्मचारी के सभी विलय पद शामिल हैं।

ग. विभिन्न स्तरों के पदोन्नति के निम्नलिखित स्तर होंगे:

i) पे-लेवल 2 में तकनीशियन रेलपथ ग्रेड III – रेल भर्ती बोर्ड से सीधी भर्ती 25%, रेलपथ अनुरक्षक IV (पे लेवल 1), रेलपथ अनुरक्षक III में पे-लेवल 2 और न्यूनतम 2 वर्ष की नियमित सेवा वाले इंजीनियरी विभाग के लेवल-1 में सहायक से पदोन्नति कोटा 50% (ट्रेड टेस्ट के माध्यम से उपयुक्तता के साथ वरिष्ठता-सह-उपयोगिता) और सहित रेलपथ अनुरक्षक IV (पे लेवल 1) से एलडीसीई (चयन) 25%।

पे लेवल 2 में रेलपथ अनुरक्षक III और प्रशिक्षु अधिनियम में निर्धारित शिक्षा अर्हता सहित न्यूनतम 2 वर्ष की नियमित सेवा के साथ इंजीनियरी विभाग के लेवल-1 में सहायक।

ii) पे लेवल 4 में तकनीशियन (रेलपथ) - वरिष्ठता-सह-उपयोगिता के आधार पर तकनीशियन रेलपथ ग्रेड III से 100% पदोन्नति कोटा, न्यूनतम 2 वर्ष की नियमित सेवा सहित ट्रेड टेस्ट के आधार पर उपयुक्तता न्यायनिर्णीत करना है।

iii) पे लेवल 5 में तकनीशियन (रेलपथ) ग्रेड I - वरिष्ठता-सह-उपयोगिता के आधार पर तकनीशियन रेलपथ ग्रेड II से 100% पदोन्नति कोटा, न्यूनतम 2 वर्ष की नियमित सेवा सहित एपीएआर के मूल्यांकन के आधार पर उपयुक्तता न्यायनिर्णीत करना है।

iv) पे लेवल 6 में वरिष्ठ तकनीशियन (रेलपथ) - वरिष्ठता-सह-उपयोगिता के आधार पर तकनीशियन रेलपथ ग्रेड I से 100% पदोन्नति कोटा, न्यूनतम 2 वर्ष की नियमित सेवा सहित एपीएआर के मूल्यांकन के आधार पर उपयुक्तता न्यायनिर्णीत करना है।

घ. तकनीशियन (रेलपथ) हेतु सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक अर्हता निम्नानुसार होगी:

दसवीं/बारहवी के साथ वेल्डर/वेल्डर (गैस और इलेक्ट्रिक)/वेल्डर (स्ट्रक्चरल)/ वेल्डर (पाइप)/वेल्डर (टीआईजी/एमआईजी)/वेल्डर(फैब्रिकेशन और फिटिंग)/ फोर्जिंग और हीट ट्रीटर/फाउंड्री मैन/पैटर्न मेकर/मोल्डर (रिफ्रेक्टरी)/फिटर/इलेक्ट्रीशियन/इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक/इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक/मैकेनिक मेकाट्रोनिक्स/मैकेनिक डीजल/मैकेनिक(मोटर वाहन)/मैकेनिस्ट/मैकेनिस्ट ग्राइंडर अथवा मैट्रिकुलेशन/एसएसएलसी के ट्रेड में एनसीवीटी/एससीवीटी के मान्यता प्राप्त संस्थानों से आईटीआई अथवा दसवीं/बारहवी के साथ ऊपर उल्लिखित किसी भी ट्रेड में प्रशिक्षुता अधिनियम पाठ्यक्रम पूरा किया।

ङ. पे लेवल-6 में वरिष्ठ तकनीशियन (रेलपथ), विभागीय पदोन्नति कोटा तथा सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा कोटा दोनों के अंतर्गत कनिष्ठ अभियंता (रेलपथ) पद पर पदोन्नति के लिए पात्र होंगे, बशर्ते वे क्रमशः आरबीई सं. 120/2014 तथा आरबीई सं. 72/2021 के अनुसार निर्धारित शैक्षणिक एवं सेवा मानदंडों को पूरा करते हों।

च. बहु-कौशल रेलपथ तकनीशियन (एमएसटीटी) संवर्ग का चिकित्सा मानक बी-1 के अनुसार रहेगा। रेलपथ के आर्टिसन संवर्ग के मौजूदा कर्मचारी, जिनका चिकित्सा मानक बी-1 से नीचे कोटि का हैं, को बी-1 के लिए पुनः चिकित्सा परीक्षण के लिए भेजा जाएं। यदि पुनः चिकित्सा परीक्षण के पश्चात रेलपथ के आर्टिसन संवर्ग के किसी मौजूदा कर्मचारी का चिकित्सा मानक बी-1 से नीचे पाया जाता है, तो संबंधित कर्मचारी को विलय के पश्चात भी सेवा काल के दौरान उसकी संशोधित चिकित्सा अर्हता के अनुरूप, उपयुक्त गतिविधियों हेतु अनुमति दी जाएं।

छ. प्रस्तावित तकनीशियन (रेलपथ) का पद निम्नलिखित दिव्यांगताओं से ग्रस्त बेंचमार्क वाले दिव्यांगजन के लिए उपयुक्त नहीं होगा:-

(i) दृष्टिबाधित अर्थात् अंध और अल्प दृष्टि (वीआई)
(ii) श्रवणबाधित अर्थात् बधिर और मंद श्रवण (एचआई)
(iii) चलन दिव्यांगता (एलडी)
(iv) दाहिनी आंख (ओडी)
(v) मांसपेशीय दुर्विकास (एमडी)

ज. बहु-कौशल रेलपथ तकनीशियन (एमएसटीटी) संवर्ग हेतु प्रशिक्षण मॉड्यूल प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार तैयार किया जाएगा, जिसमें वेल्डिंग, लोहार संबंधी कार्य, विभिन्न छोटी रेलपथ मशीनों का संचालन, व्यक्तिगत संरक्षा सहित कार्यस्थल पर संरक्षा संबंधी कार्य, रेलपथ का संरक्षण आदि जैसे विभिन्न गतिविधियां शामिल की जाएगी। पटरियों के एल्युमिनो-थर्मिट वेल्डिंग में विशेष प्रशिक्षण निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार थर्मिट पोर्शन प्लांट, लखनऊ अथवा थर्मिट वेल्डिंग प्रशिक्षण केंद्र, विजयवाड़ा में प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा, कार्यस्थल पर व्यावहारिक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण की समय-सीमा सहित विस्तृत मॉड्यूल, इस विषय पर मौजूदा नीति के अनुसार तैयार किए जाए और सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित किया जाएं।

झ. तकनीशियन (रेलपथ) की नवीन प्रस्तावित कोटि को क्रिस द्वारा एचआरएमएस में शामिल किया जाना होगा, ताकि संवर्ग प्रबंधन मॉड्यूल में अद्यतन तथा जनशक्ति योजना (एमपीपी) संबंधी गतिविधियों जैसे स्थानांतरण, पदों का समर्पण/पुनर्वितरण तथा कोटि में परिवर्तन आदि को सक्षम बनाया जा सके।

ख. <u>चरण – II</u>

(क) बहु-कौशल तकनीशियन (रेलपथ) के संवर्ग की कुल संवर्ग संख्या को रेलपथ अनुरक्षक संवर्ग की स्वीकृत संख्या के 15% से बढ़ाकर 25% किया जाए। वास्तविक प्रतिशत यातायात घनत्व, अन्य कार्य संबंधी स्थितियों तथा कार्यात्मक आवश्यकताओं के आधार पर मंडल से मंडल भिन्न हो सकती है तथा इसका विनिर्णय संबंधित क्षेत्रीय रेलों द्वारा किया जाएगा।

(ख) अधिसूचना जारी करने की तिथि को पदोन्नति के लिए पात्र सभी रेलपथ अनुरक्षकों को सबसे पहले रेलपथ अनुरक्षक संवर्ग के भीतर ही पदोन्नत होने का अवसर दिया जाए।

(ग) मौजूदा पात्र रेलपथ अनुरक्षकों के पदोन्नत होने के बाद, आरबीई 54/2022 के अनुसार, शेष रिक्त पदों को बहु-कौशल तकनीशियन (रेलपथ) के नए बने संवर्ग में स्थानांतरित/पुनर्वितरित कर दिया जाएगा।

(घ) रेलपथ अनुरक्षक और बहु-कौशल तकनीशियन (रेलपथ) संवर्ग को मौजूदा प्रावधानों के अनुसार पुनर्गठित किया जाए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनका ग्रेड-वार प्रतिशत वितरण संबंधित संवर्ग के मौजूदा प्रतिशत वितरण के अनुरूप बना रहे। बहु-कौशल तकनीशियन (रेलपथ) के नए संवर्ग का प्रतिशत वितरण, अन्य आर्टिसन संवर्गों के संबंध में संवर्ग पुनर्गठन के बाद निर्धारित किए गए प्रतिशत के बराबर रखा जाए। फिलहाल, बहु-कौशल वाले तकनीशियन (रेलपथ) संवर्ग का प्रतिशत वितरण समिति की सिफारिश के अनुसार निम्नानुसार रखा जाए:-

बहु-कौशल कोटि वाले तकनीशियन (रेलपथ)		
कोटि	पे लेवल	प्रतिशत वितरण
एमसीएम/वरि. तकनीशियन	6	20
तकनीशियन-I	5	20
तकनीशियन-II	4	30
तकनीशियन-III	2	30

(ङ) उक्त प्रतिशत वितरण की समीक्षा की जाए तथा चल रही संवर्ग पुनर्गठन प्रक्रिया के अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात अन्य आर्टिसन संवर्गों के लिए अपनाए जाने वाले प्रतिशत वितरण के अनुरूप संरेखित किया जाए।

3. इसलिए, क्षेत्रीय रेलों से अनुरोध है की उपर्युक्त प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कार्रवाई करें तथा उपर्युक्त प्रावधानों और मौजूदा निर्देशों के अनुसार मौजूदा पी-वे आर्टिसन संवर्ग के विलय के संबंध में आवश्यक प्रक्रिया अपनाएं।

4. इसे अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रेलवे बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त है।

कृपया पावती दें।

25.4.26

संजय कुमार
उप निदेशक/स्था. (अराजपत्रित)
रेलवे बोर्ड
दूरभाष-011-23047197
ई-मेल आईडी- sanjay.kummar6@gov.in

सं. ई(एनजी)I/2026/पीएम5/2 नई दिल्ली, दिनांक: **25.09.2026**

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. जनरल सेक्रेटरी, एआईआरएफ, कमरा नं. 253, रेल भवन, नई दिल्ली (35 प्रतियों सहित)।
2. जनरल सेक्रेटरी, एनएफआईआर, कमरा नं. 256-ई, रेल भवन, नई दिल्ली (35 प्रतियों सहित)।
3. राष्ट्रीय परिषद, विभागीय परिषद के सभी सदस्य तथा सचिव, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद,13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली।
4. सेक्रेटरी जनरल, फ्रोआ, कमरा नं. 256-ए, रेल भवन, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
5. सेक्रेटरी जनरल, आईआरपीओएफ, कमरा नं. 268, रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
6. सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप 'ए' ऑफिसर्स एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
7. सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप 'बी' ऑफिसर्स एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
8. सचिव, रेलवे बोर्ड मिनिस्ट्रीयल स्टॉफ एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
9. सचिव, रेलवे बोर्ड , ग्रुप 'डी' इम्प्लाइज़ एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
10. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया एससी/एसटी रेलवे इम्प्लाइज़ एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
11. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया ओ.बी.सी. रेलवे इम्प्लाइज़ फेडरेशन/एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।

25/09/2026

कृते प्रधान कार्यपालक निदेशक (औद्योगिक संबंध)/रेलवे बोर्ड